न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 95 / 2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. नवलाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी खीयोणी सारणों की ढाणी हाल निवासी मीठीयावास तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. पाबूराम पुत्र जयराम जाति जाट निवासी लाखोंणी सारणों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

2. ईसराराम पुत्र पदमाराम
3. केसाराम पुत्र पदमाराम
4. किस्तुराम पुत्र पदमाराम
5. खेतूदेवी पुत्री निम्बाराम
6. चेनीदेवी पत्निप पदमाराम
7. चिमाराम पुत्र भगाराम
8. जगदीशकुमार पुत्र पदमाराम
9. जोगाराम पुत्र पूनमाराम
10. पनी पत्नि पूनमाराम
11. मेगाराम पुत्र भगाराम
12. रामाराम पुत्र पूनमाराम
13. रामाराम पुत्र निम्बाराम
14. नेनूदेवी पत्नि जेठाराम
15. खेताराम पुत्र भारूराम जातियान खींयोणी सारणों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
16. [illegible] पत्नि चैनसिंह
17. तेजसिंह पुत्र चैनसिंह
18. नरपतसिंह पुत्र चैनसिंह
19. लखसिंह पुत्र चैनसिंह
20. सगतसिंह पुत्र चैनसिंह
21. कमलसिंह पुत्र सोहनसिंह जातियान राजपूत निवासी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:11:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

खींयोणी सारणों की ढाणी
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
22. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 28.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा खींयोणी सारणों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 5/1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा खींयोणी सारणों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 5/1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:11:05 IST
Reason: SelfAttested

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन [illegible] को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी [illegible] खींयोणी सारणों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 5/1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के [illegible] किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सिणधरी मौजा खींयोणी सारणों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 5/1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी कदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे तीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। दे कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा ार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल धरी मौजा खींयोणी सारणों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 5/1 रकबा 6.4720 हैक्टेयर ारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को श्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये स/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.14 11:11:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।